संख्या-432/2017/2145/22-2-2016-17(469)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 जून, 2017

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विश्नू उर्फ विष्णु कुमार पुत्र श्री राधेश्याम, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम 06.09.2016) दिनांक-26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 26.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी विश्नू उर्फ विष्णु कुमार पुत्र श्री राधेश्याम, ग्राम-मोचकला, थाना-बिसवां, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 10.10.1996 को सायं लगभग 04.00 बजे एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर राम औतार के पुत्र सियाराम को रात में जबरन पकडकर ले गये तथा मारा-पीटा तथा हंसिया से हाथ काट दिया, जिससे अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-206/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा 364, 307, 326, 302 व 3(2) 5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-2, सीतापुर के आदेश दिनांक 10.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.11.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 14 वर्ष 04 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा गया है कि बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.1996 को सायं लगभग 04.00 बजे एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर राम औतार के पुत्र सियाराम को रात में जबरन पकडकर ले गये तथा मारा-पीटा तथा हंसिया से हाथ काटकर घायल करने, जिससे उपचार के दौरान मृत्यु होने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-54 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विश्नू उर्फ विष्णु कुमार पुत्र श्री राधेश्याम, निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि बन्दी का 01 सहअभियुक्त अभी जेल में है तथा समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विश्नू उर्फ विष्णु कुमार (बन्दी संख्या-1301/2014) पुत्र श्री राधेश्याम, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-432/2017/2145(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-432/2017/2145@22-2-2016-17(469)/2016

दिनांक 14 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध विश्नू उर्फ विष्णु कुमार (बन्दी संख्या-1301/2014) पुत्र श्री राधेश्याम, ग्राम-मोचकला, थाना-बिसवां, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 10.10.1996 को सायं लगभग 04.00 बजे एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर राम औतार के पुत्र सियाराम को रात में जबरन पकडकर ले गये तथा मारा-पीटा तथा हंसिया से हाथ काट दिया, जिससे अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-206/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364, 307, 326, 302 व 3(2) 5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-2, सीतापुर के आदेश दिनांक 10.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.11.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 14 वर्ष 04 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा गया है कि बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.1996 को सायं लगभग 04.00 बजे एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर राम औतार के पुत्र सियाराम को रात में जबरन पकडकर ले गये तथा मारा-पीटा तथा हंसिया से हाथ काटकर घायल करने, जिससे उपचार के दौरान मृत्यु होने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-54 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विश्नू उर्फ विष्णु कुमार पुत्र श्री राधेश्याम, निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि बन्दी का 01 सहअभियुक्त अभी जेल में है तथा समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in